



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारास्थापितराजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओडिशारोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2-1-2/464/संबद्धता/2023/349

रायगढ़, दिनांक 13/09/2023

// आदेश //

छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, "मंत्रालय" महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, के अनुमति पत्र क्रमांक एफ 17-71/2023/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02.08.2023 तथा विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 2-1-2/संब.निरी./2023/271 रायगढ़, दिनांक 25.08.2023 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर डी.बी.एम. महाविद्यालय, देवरहा (पीथमपुर) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है :-

क्रमांक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.बी.ए. -प्रथम वर्ष (नवीन विषय) (सभी अनिवार्य विषय)	60-सीट
02	डी.सी.ए. (नवीन विषय) सभी अनिवार्य विषय	60-सीट
03	बी.एस.सी. (नवीन विषय) प्रथम वर्ष - विज्ञान समूह (आ.पा., वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र)	30-सीट
04	बी.एस.सी. (नवीन विषय) प्रथम वर्ष - गणित समूह (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र)	30-सीट
05	बी.ए.-प्रथम वर्ष (नवीन विषय) (आ.पा., राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, इतिहास)	60-सीट

निर्धारित शर्तें :-

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम- 2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
03. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार संबंधित विषयों में नियुक्ति शीघ्र किये जाये।
04. उपरोक्त पाठ्यक्रमानुसार नवीनतम एवं पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकें क्रय किया जावे।
05. शपथ पत्र के आधार पर 3.25 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम से जल्द से जल्द पंजीयन किया जावेगा।
06. प्राचार्य, ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी की नियुक्ति नियमानुसार की जावे।

उल्लेखित शर्तों का पालनकर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 15.10.2023 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/ अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

रायगढ़, दिनांक 13/09/2023

पृ. क्रमांक 2-1-2/464/संबद्धता/2023/350

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. प्राचार्य, डी.बी.एम. महाविद्यालय, देवरहा (पीथमपुर) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राचार्य अधिकारी (अका.)